>

Title: Need for immediate regularization of undauthorised colonies in Delhi in view of Supreme Court's order to shut down commercial establishments in such colonies.

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के आदेश से 15 सौ अनाधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख लोग जिनको यह आदेश मिला है कि 3 सप्ताह के अंदर, वे अपने जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें हैं, उन सब को बंद कर दें। उससे न सिर्फ चिंता की लहर 15 सौ अनाधिकृत कालोनियों में फैली है, बल्कि आज कानून और व्यवस्था का सवाल भी खड़ा हो गया है। ये 15 सौ अनाधिकृत कालोनियां करीब 20-25 वर्षों से बनी और बसी हुयी हैं।

केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इन कालोनियों को पास किया जाएगा। कालोनियों को पास करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायाधीशों का जो आदेश हुआ, वह न सिर्फ चिंता की बात है, बल्कि जो लाखों लोग वहां रहते हैं और अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।[c72]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह संसद में बिल लाए। मुझे लगता है कि इस बारे में सारी राजनीतिक पार्टियां एकमत हैं कि जो गरीब लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, उन्हें किसी न किसी सूरत में काम करने की इजाजत दी जाए। इस बारे में संसद में बिल लाया जाए और उसे पास किया जाए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उन कालोनियों को पास करने का कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया है, उसका जल्द से जल्द नोटीफिकेशन किया जाए जिससे चालीस लाख लोगों को राहत मिल सके।